(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-6 (Rs.35400-112400/-) in the pay matrix in the parent cadre or department ; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column(7). (The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).	

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Chairman, Central Ground Water Board – Chairman 2. Director (Administration), Central Ground Water Board – Member 3. Scientist 'D', Central Ground Water Board – Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.".

[F. No. A. 31012/13/2017-GWE]

S. K. KATARIA, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 217, dated the 9th November, 2010.

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2018

सा.का.नि.302.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (प्रशासक, केन्द्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण) भर्ती नियम 2000 और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (प्रशासक, केन्द्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है ।
   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (प्रशासक, केन्द्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण) भर्ती नियम, 2000 में –
   (i) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
   "2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।
   (ii) नियम 3 में, शब्दों , कोष्ठक और अंकों के स्थान पर,
   "स्तंभ (5) से स्तम्भ (14)" शब्द , कोष्ठक और अंक "स्तंभ (5) से (13)" रखे जाएंगे ।
   (iii) अनूसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएंगी, अर्थात्:—

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स मे स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
प्रशासक	1* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क, राजपत्रित सचिवीय	स्तर 11 (67700-208700 रु.)

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति/आमेलन

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन: (क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन अधिकारी (i) मूल संवर्ग या विभाग नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हो । (ii) मूल संवर्ग या विभाग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर 9 (53100-167800 रु.) में नियमित पाँच वर्ष सेवा की हो; या (iii) मूल संवर्ग या विभाग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 (47600-151100 रु.) में छह वर्ष नियमित सेवा की हो; या (iv) मूल संवर्ग या विभाग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400-112400 रु.) में दस वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) प्रशासन, स्थापना और लेखा मामले में पाँच वर्ष अनुभव रखता हो । **टिप्पण:** प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग मे इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	पद भरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. 21/11/2016-सीजीडब्ल्यूबी]

एस. के. कटारिया, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 162, तारीख 18 अप्रैल, 2000 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग-II खंड 3 उपखंड (i), तारीख 6 मई, 2000 में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या 107, तारीख 16 जून 2010 द्वारा संशोधित किए गए ।

New Delhi, the 5th September, 2018

G.S.R.302 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Ground Water Board (Administrator, Central Ground Water Authority) Recruitment Rules, 2000, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Ground Water Board (Administrator, Central Ground Water Authority) Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Ground Water Board (Administrator, Central Ground Water Authority) Recruitment Rules, 2000,—

   (i) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:—

   "2. Number of posts, classification and level in pay matrix.– The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.";

   (ii) in rule 3, for the words, brackets and figures "columns (5) to (14)", the words, brackets and figures "columns (5) to (13)" shall be substituted,-

   (iii) for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in pay matrix.	Whether selection post or non - selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Administrator	1* (2018) *Subject to variation depend on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Ministerial.	Level-11 (Rs.67700-208700)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation/Absorption

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption is to be made.
(11)
Deputation/Absorption : (a) Officers under the Central Government or State Governments: (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in level-9 (Rs.53100-167800) in the pay matrix in the parent cadre or department; or (iii) with six years regular service in level-8 (Rs.47600-151100) in the pay matrix in the parent cadre or department; or (iv) with ten years regular service in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix in the parent cadre or department; and (b) having five years experience in Administration, Establishment and Accounts matters. **Note**: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty- six years as on the closing date for receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of the post.

[F. No. 21/11/2016-CGWB]

S. K. KATARIA, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 6th May, 2000, vide notification number G.S.R.162, dated the 18th April, 2000 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 107, dated the 16th June, 2010.

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2018

सा.का.नि.303.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान शाला, नई दिल्ली, प्रयोगशाला सहायक श्रेणी-1, श्रेणी-2 और श्रेणी-3, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2011 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान शाला, नई दिल्ली में प्रयोगशाला सहायक श्रेणी-1, प्रयोगशाला सहायक श्रेणी-2 और प्रयोगशाला सहायक श्रेणी-3, के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली, प्रयोगशाला सहायक श्रेणी-1, प्रयोगशाला सहायक श्रेणी-2 और प्रयोगशाला सहायक श्रेणी-3, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता** .—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।